राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

अपील

राज्य के समस्त शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों से अपील है कि राज्य सरकार द्वारा गृहकर में दी गयी छूट का लाभ उठाये।

1. प्रत्येक गृहकरदाता द्वारा सम्पूर्ण बकाया (31 मार्च, 2005 तक) गृहकर का भुगतान एकमुश्त दिनांक 31 अक्टूबर, 2005 तक करने पर 15 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है।
2. प्रत्येक गृहकरदाता द्वारा वर्ष 2005–06 का गृहकर दिनांक 31 अक्टूबर, 2005 तक एकमुश्त भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है।
3. प्रत्येक गृहकर दाता द्वारा आगामी तीन वर्षो में देय गृहकर की राशि दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 तक एकमुश्त जमा कराने पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है।
4. सम्पूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर देय शास्ति पर भी छूट होगी।
5. गृहकर की दरें निम्नानुसार हैः–

क्रं0सं0	नगर पालिका की श्रेणी	आवासीय भवन एवं भूमि पर देय वार्षिक कर की दरें	
		खुली भूमि के लिये प्रतिवर्ग गज पर	निर्मित क्षेत्र के लिये प्रति वर्गफीट पर
1.	नगर निगम	50 पैसे	50 पैसे
2.	नगर परिषद	40 पैसे	40 पैसे
3.	नगर पालिका द्वितीय श्रेणी	30 पैसे	30 पैसे
4.	नगर पालिका तृतीय श्रेणी	20 पैसे	20 पैसे
5.	नगर पालिका चतुर्थ श्रेणी	15 पैसे	15 पैसे

6. **गृहकर कैसे जमा करायें :–**

   अपने शहर के नगर निगम/परिषद/पालिका क्षेत्र से आवेदन पत्र प्राप्त करके अपने गृहकर का स्वनिर्धारण कर गृहकर राशि जमा करा सकते है।

   आवेदन पत्र राज्य सरकार की वेब साईट www.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके भी प्राप्त कर सकते है।

   व्यावसायिक भवन एवं भूमि पर कर की दर आवासीय कर की दर की चार गुना होगी।

   संस्थानिक/औद्योगिक भवन एवं भूमि पर कर की दर आवासीय कर की दर के बराबर ही देय होगी।

   सभी फ्लेट्स तथा 5000 वर्गफुट से अधिक निर्मित क्षेत्र वाले सभी आवासीय भवनों तथा 2500 वर्ग फुट से अधिक निर्मित क्षेत्र वाले सभी व्यावसायिक भवनों पर कर केवल तलक्षेत्र के अनुसार देय होगा जिसकी दर निर्मित क्षेत्र के लिये उपरोक्तानुसार लागू सामान्य आवासीय/व्यावसायिक दर की सवा गुणा होगी और खाली भूमि पर अलग से कर देय नहीं होगा।

7. **गृहकर स्व–निर्धारित कर जमा करायें एवं तनाव से मुक्ति पायें।**

गृहकर के स्व–निर्धारण के लिये प्रारूप

प्रेषिती,

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका
...
....
...

....

कार्यालय उपयोग हेतु
....

प्राप्ति की तारीख ....

लिपिक के हस्ताक्षर ....

भाग–1

(सामान्य सूचना)

1. वर्ष, जिससे कर सम्बन्धित है [ ]

2. (क) भवन और भूमि के स्वामी/अधिभोगी का नामः– [ ]
   (ख) वृत्ति :– सेवा/कारोबार/गृहिणी/अन्य :– [ ]
   (ग) आयु [ ]
   (घ) दूरभाष सं0:–कार्यालय [ ] निवास [ ] फैक्स [ ]
   (ङ) वर्तमान पता/डाक का पता

3. भवन और भूमि का पताः–

(i) वार्ड सं0	
(ii) मौहल्ले का नाम	
(iii) गृह सं0	
(iv) मार्ग का नाम	
(v) शहर का नाम	
(vi) पिन कोड सं0	

4. पिछले वर्ष के जमा कर की विशिष्टियां :–
   (i) अंतिम निर्धारण वर्ष ....
   (ii) उस वर्ष का निर्धारित कर ....
   (iii) जमा कर की विशिष्टियां ....

भाग – 2

5. भवन और भूमि की विशिष्टियां :–

1. भूखण्ड का क्षेत्र (वर्ग गज में) ....

(क) कुल क्षेत्र (वर्गगज में) ....

(ख) खाली क्षेत्र (वर्गगज में) ....

(ग) निर्मित क्षेत्र (वर्गगज में) ....

(घ) सनिर्मित भाग का तल क्षेत्र (वर्गफुट में) ....

(ड) निर्मित तल/मंजिलों की संख्या ....

2. भूमि और भवन का तल वार क्षेत्र सहित उपयोग

भूमि का उपयोग	तल क्षेत्र का ब्यौरा (वर्ग फुट में)								
	तहखाना	भूतल	प्रथम तल	द्वितीय तल	तृतीय तल				कुल
आवासीय									
वाणिज्यिक									
संस्थागत									
औद्योगिक									
विविध									

भाग – 3

1. कर का निर्धारण :–

क्र0सं0	कुल भूमि का क्षेत्रफल (वर्गगज में)	खाली भूमि का क्षेत्रफल (वर्गगज में) कर की दर	सनिर्मित तल क्षेत्रफल (वर्गगज में) कर की दर	संदेय कर की रकम		संदेय शुद्ध कर (5+6)
				खाली भूमि के क्षेत्र के लिये	संनिर्मित क्षेत्र के लिये	
1	2	3	4	5	6	7
			क. निवासीय			
			ख. वाणिज्यिक			
			ग. संस्थागत			
			घ. औद्योगिक			

टिप्पणीः–

1. स्वामी / अधिभोगी से उस के स्वामित्व वाली या अधिभोग की प्रत्येक संपत्ति के लिये पृथक–पृथक स्व–निर्धारण प्ररूप भरने की अपेक्षा की जाती है।
2. स्वामी / अधिभोगी स्व–निर्धारण प्ररूप भरने के पूर्व राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 104 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का अध्ययन करेगा।
3. यदि भूमि या भवन का उपयोग एक से अधिक प्रयोजनों के लिये किया जाता है तो प्रत्येक प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने वाले भाग को भाग–3 में उपदर्शित किया जाना चाहिए।

आवेदक के हस्ताक्षर
(नाम ....)
स्वामी / अधिभोगी / प्राधिकृत
प्रतिनिधि

(अधिक जानकारी के लिये सम्बन्धित नगर निगम / परिषद / पालिका से सम्पर्क करें।